

पं० दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत पूँजीगत अनुदान हेतु दावा पत्रक

यथा स्थान (√) का निशान लगायें

च	पुरुष	महिला	2	सामा०	अनु०जा०	अनुजनजा०	पि०वर्ग	अल्पसंख्यक	भू०पू०सैनिक	दिव्यांग	एचबीए
---	-------	-------	---	-------	---------	----------	---------	------------	-------------	----------	-------

(लाभार्थी और बैंक द्वारा उ०प्र० खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड को पूँजीगत अनुदान का दावा प्रस्तुत करने हेतु आवेदन पत्र)

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी से पूँजीगत अनुदान प्राप्त करने का दावा क्लेम फार्म

प्रेषक :

शाखा प्रबंधक,

बैंक का नाम

शाखा

जिला

बैंक शाखा का पत्राचार हेतु पूर्ण पता

ग्रा० / शहर

मार्ग

पो०आ०.....पिन

जिला

राज्य

आई०एफ०एस०सी० (IFSC) कोड:.....

बैंक शाखा प्रबंधक का मोबाइल नम्बर :.....

सेवा में,

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी,

उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड,

जनपद.....

(ऋणदाता बैंक की शाखा के माध्यम से)

विषय : पं० दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत बैंक द्वारा वितरित ऋण के सापेक्ष सरकारी पूँजीगत अनुदान भुगतान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी इसके द्वारा सूचित करते हैं कि एक ग्रामोद्योगी परियोजना मेरे पक्ष में उ०प्र० सरकार द्वारा प्रायोजित पं० दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार के अन्तर्गत (वित्तपोषण बैंक का नाम)

बैंक शाखा तहसील जिला के द्वारा उद्योग के अन्तर्गत स्वीकृत की गई है।

परियोजना लागत का विवरण	धनराशि (₹)	वित्त के साधन	धनराशि (₹)
अ) पूँजीगत व्यय		स्वयं का अंशदान	
(1) शेड/भवन		अचल पूँजी के लिए सावधि ऋण	
(2) मशीन/उपकरण			

ब) कार्यशील पूँजी		कार्यशील पूँजी के लिए कैश क्रेडिट	
योग (रु०)		योग (रु०)	

- भूमि की लागत को परियोजना लागत के अन्तर्गत पूँजीगत व्यय में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।
- निर्माण तथा सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत रु० 25.00 लाख से अधिक परियोजना लागत नहीं होनी चाहिए।

लाभार्थी के हस्ताक्षर.....

- मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि ऋणदाता बैंक शाखा को योजना के अनुसार अनुमन्य पूँजीगत अनुदान धनराशि रु०
..... (रुपये मात्र) का भुगतान करने का कष्ट करें।

परियोजना का विस्तृत विवरण निम्नवत् है :-

3.1 (अ) लाभार्थी का पूरा नाम :..... मोबाईल नम्बर आधार नम्बर.....

(ब) पिता का नाम

(स) पूरा पता (पिन कोड सहित).....

3.2 इकाई का स्थान :.....
(ग्राम, तालुका, जिला और राज्य पिन कोड सहित)

3.3 ग्रामोद्योगी गतिविधि (कृपया निर्दिष्ट करें) :.....

3.4 (अ) सामान्य श्रेणी या : हाँ/नहीं

(ब) क्या लाभार्थी का सम्बन्ध अनु०जा०/अनुजजा/अल्पसंख्यक/
अ०पि०व०/भू०पू०सैनिक/दिव्यांग/महिला/एचबीए (कृपया निर्दिष्ट करें)।

3.5 स्वयं के अंशदान का विवरण (अ) जमा की प्रकृति :

(ब) खाता संख्या :

(स) जमा का दिनांक :

(द) जमा धनराशि : रु०.....

3.6 बैंक का स्वीकृत पत्र संख्या : (स्वीकृति आदेश की प्रति संलग्न करें)

स्वीकृति का दिनांक.....

3.7 प्रथम किस्त वितरण की धनराशि : रु०

दिनांक :-.....

(लेज़र निष्कर्षों की प्रमाणित प्रति संलग्न होनी चाहिए)

4. मैं एतद्द्वारा खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित पं० दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के सम्बन्ध में भविष्य में समय-समय पर निर्गत शर्तों और निर्देशों का पालन करने के लिए सहमत हूँ। मैं बैंक एवं जिला ग्रामोद्योग अधिकारी को उत्पादन, बिक्री, रोजगार, वेतन भुगतान इत्यादि पर वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी सहमत हूँ।
5. प्रमाणित किया जाता है कि उद्यम स्थापित करने हेतु (वित्तपोषण बैंक का नाम) ..
.....(शाखा का नाम) से वित्तपोषित है और.....
(गतिविधि/उद्योग) मौजूदा नई ग्रामोद्योगी इकाई है।
6. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सरकारी पूँजीगत अनुदान में उल्लिखित पते पर स्थित इकाई केवल मेरे नाम पर है और मैं इस इकाई का एकमात्र मालिक हूँ।

(लाभार्थी के हस्ताक्षर)

7. प्रमाणित किया जाता है कि मैं अपनी परियोजना स्थल के मुख्य प्रवेश द्वार पर निम्नलिखित साइन-बोर्ड प्रदर्शित करूंगा/करूंगी।

इकाई का नाम वर्ष में.....

बैंक से वित्तपोषित है तथा उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित पं० दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त है।

8. मैं क्रेडिट गारण्टी फण्ड स्कीम (सीजीटीएमएसई) के सम्बन्ध में गारण्टी शुल्क और वार्षिक सेवा शुल्क की राशि देने के लिए तैयार हूँ, यदि बैंक चाहे तो अपने विवेक से वसूली कर सकता है।
9. मेरे द्वारा उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित पं० दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के प्राविधानों को भली-भाँति समझ लिया गया है। कुल परियोजना लागत में पूँजीगत ऋण (भवन/शेड तथा मशीन संयंत्र) हेतु बैंक द्वारा स्वीकृत/वितरित ऋण के 50: (अधिकतम रु० 5.00 लाख) पूँजीगत अनुदान विभाग से बैंक को प्राप्त होने वाले तथा बैंक द्वारा उक्त धनराशि का (टी०डी०आर०) बनाकर रखने तथा ऋण वितरण की प्रथम किश्त की तिथि से उद्यम 3 तीन वर्ष तक सफलतापूर्वक चलते रहने पर अनुदान समायोजन की शर्त से सहमत हूँ।
10. घोषित किया जाता है कि सरकारी पूँजीगत अनुदान दावे में मेरे द्वारा प्रस्तुत सभी तथ्य सही हैं और किसी भी जानकारी को छुपाया नहीं गया है।
11. पूँजीगत अनुदान राशि की अग्रिम पावती भी संलग्न है।

भवनिठ,

स्थान :

दिनांक :

(लाभार्थी के हस्ताक्षर)

ifgrkfjr

'MkizUd
1/2Mkdhegj1/2

अग्रिम रसीद

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जनपद.....से "पूँजीगत अनुदान" के रूप में धनराशि रु० (रुपये मात्र) स्वीकृत परियोजना हेतु प्राप्त किया ।

द्वारा बैंक शाखा ।

(रसीदी टिकट)
(लाभार्थी के हस्ताक्षर)

(बैंक/शाखा के उपयोगार्थ)

1. उपरोक्त लाभार्थी की परियोजना पर विधिवत मूल्यांकन उपरान्त हमारे बैंक/शाखा ने रु० का ऋण स्वीकृत किया है। बैंक द्वारा इस ऋण के विपक्ष में ऋण रु० प्रथम किश्त/ऋण की धनराशि रु० एकमुश्त निर्गत कर दी गई है। बैंक जिला ग्रामोद्योग अधिकारी/खादी बोर्ड से प्राप्त पूँजीगत अनुदान की धनराशि को टीडीआर (टर्म डिपोजिट) के रूप में बिना ब्याज के रखेगा। अनुदान धनराशि पर बैंक द्वारा न ब्याज दिया जायेगा और न ही लिया जायेगा। ऋण वितरण की प्रथम किश्त की धनराशि की तिथि से तीन वर्ष पश्चात् ऋणदाता बैंक और जिला ग्रामोद्योग अधिकारी के संयुक्त निरीक्षण उपरान्त जिला ग्रामोद्योग अधिकारी के स्तर से अनुदान धनराशि के समायोजन का पत्र प्राप्त होने के बाद ही अनुदान धनराशि का समायोजन उद्यमी के प्रदत्त ऋण खाते में किया जायेगा। इकाई के नियमानुसार ऋण का सदुपयोग नहीं करने अथवा कार्यरत न रहने पर पूँजीगत अनुदान की प्राप्त धनराशि को उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के बैंक खाते में वापस कर दी जायेगी।

2. प्रमाणित किया जाता है कि हमारे बैंक शाखा ने श्री/श्रीमती..... के नाम से नई इकाई स्थापना हेतु ऋण स्वीकृत किया गया है। पूँजीगत अनुदान का दावा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं हमारे बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप देय होगा। योजना के अन्तर्गत बैंक शाखा द्वारा परियोजना की स्वीकृति किसी पूर्व ऋण की वसूली या समायोजन हेतु नहीं की गयी है।

3. ऋण स्वीकृति आदेश और ऋण लेने वाले व्यक्ति के सावधि ऋण खाता और नकदी निकासी खाते की प्रमाणित प्रति संलग्न है।

4. प्रमाणित किया जाता है कि हमारी बैंक शाखा द्वारा श्री/श्रीमती.....के पक्ष मेंउद्यम की स्थापना करने हेतु पूँजीगत तथा कार्यशील पूँजी दोनों मदों के अन्तर्गत परियोजना स्वीकृत की गयी है। इकाई द्वारा परियोजना के अनुसार सेवा/उत्पादन कार्य न करने तथा पूँजीगत एवं कार्यशील पूँजी मद में स्वीकृत/वितरित धनराशि का सदुपयोग न करने पर अथवा योजना की शर्तों को पूर्ण न करने पर जिला ग्रामोद्योग अधिकारी/खादी बोर्ड से प्राप्त पूँजीगत अनुदान की धनराशि का समायोजन नहीं किया जायेगा और उक्त धनराशि खादी बोर्ड को वापस कर दी जायेगी।

हस्ताक्षर

स्थान

(बैंक अधिकारी का पदनाम)

दिनांक:

(बैंक की मुहर)

संलग्नक – उपरोक्तानुसार

हस्ताक्षर कोड/पी0ए0 नं0